

प्रश्नक,

श्री अशोक गौरी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
बिना केन्द्र 2 मन्दाय केन्द्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

सिधा 176 अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 26 सितम्बर, 1998

विषय:- तनवीम स्कूल अन्वयमानिगर वाराणसी को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत रखे जाने के संबंध में है

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि तनवीम स्कूल अन्वयमानिगर वाराणसी को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धनों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीतापदी का सत्य सत्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सिधा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए नियोजित शुरू से अधिक शुरू नहीं किया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिल कार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैस्टिगेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था केविक एवं निमित्तक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।



Principal
SUNBEAM SCHOOL
Laharaha, Varanasi

22.06.21



- 16। कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें तत्वावधान प्राप्त असातवीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 17। राज्य सरकार द्वारा तत्ता तत्ता पर जो भी आदेश निकाले जायेंगे, तत्ता उनका पालन करेंगे।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचयों में रखा जायेगा।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना कोई परीक्षा/समीक्षा या परीक्षा नहीं लिया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तत्ता के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय वह पायाजाता है कि तत्ता द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या गिरावट होती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अपराधित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

अधीक नज़ी।
संयुक्त तत्ता।

4134
पुनर् 313411/15-7-1998 तत्तादिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मन्त्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
- 4- निरीक्षक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- ^{उप-निदेशक} ~~संयुक्त~~ तत्ता, अन्वयमानिध, वाराणसी।

आगत है,

Lawrence

अधीक नज़ी।
संयुक्त तत्ता।

Principal
SUNBEAM SCHOOL
Lahartara, Varanasi

